

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/4233/

जबलपुर, दिनांक 27 / 05 / 2024

श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 08.02.2024 से 14.03.2024 तक 36 दिन का अर्जित अवकाश भूतलक्षी प्रभाव से इस चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में अनुपस्थिति की सूचना एवं अवकाश आवेदन समय पर देंगे जिससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो तथा दिनांक 15.03.2024 से कर्तव्य पर उपस्थिति होने के फलस्वरूप वेतन भुगतान प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार



(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4234/

जबलपुर, दिनांक 27 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर;
5. श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)